उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7

संख्या: क0नि0-2/7-795/11-2014-700(338)/2014

लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश कताई मिल संघ लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में, औद्योगिक विकास क्षेत्र, कस्बा इटावा स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल की 17.006 हेक्टेयर अर्थात 170060 वर्ग मीटर भूमि के हस्तान्तरण विलेख पर उक्त अधिनियम 1899 की अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते है।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-795 (1)/11-7-2014-700 (338)/2014, दिनांक

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 15-10-2014 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की दो सौ प्रतियॉं आयुक्त स्टाम्प उ0 प्र0, इलाहाबाद को तथा एक सौ प्रतियॉं शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव

संख्या-795 (1-19)/11-7-2014-700 (338)/2014, दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(6) आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/महानिरीक्षक, निबन्धन उ0प्र0 लखनऊ को इस अपेक्षा से कि वे अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करें।
(7) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉंधी मार्ग, लखनऊ।
(8) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ कानपुर ।
(9) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, लखनपुर, कानपुर नगर।
(10) निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर नगर।
(11) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(12) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(13) जिलाधिकारी, इटावा।
(14) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
(15) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
(16) शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(17) विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(18) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-7

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notfication No. K.N.-7-795/11-2014-2/700(338)/2014, dated October, 2014 for general information.

Notification
Order

No. 2/K.N.-7-795/11-2014-700(338)/2014

Lucknow, Dated October , 2014

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the stamp duty chargeable under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B of the said Act of 1899, on the instrument of Conveyance of Land 17.006 hectare that is 170060 square meter of Uttar Pradesh Sahakari Katai mill situated within the industrial development area at Kasba Etawah executed by Uttar Pradesh spinning mill Sangh Limited in favour of Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad.

By order,

(Anil Kumar)
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in